राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 14/2021

दायर दिनांक:–17.02.2021

1. नाथू पुत्र मोडू जाति बलाई आयु 61 वर्ष, निवासी सुरसुरा तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान

.........वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

.......प्रतिवादी

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत राजस्व रेकार्ड दुरूस्ती हेतु**

## निर्णय

दिनांक 28.09.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुरसुरा पटवार हल्का सुरसुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़ में स्थित भूमि के खाता संख्या 873 खसरा नम्बर 263 रकबा 0.2265 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 481 रकबा 0.8899 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 1/4 दर्ज है। उपरोक्त खसरा में वादी के पिता का नाम रोड़ा का इन्द्राज किया हुआ जबकि वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम मोडू है। सहवन से वादी के पिता का नाम नाथू पुत्र मोडू के स्थान पर नाथू पुत्र रोड़ा दर्ज हो गया था। वादी के पिता के नाम की इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहता है। वादी के पहचान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैनकार्ड, व ग्राम सुरसुरा की जमाबंदी के खाता संख्या 472 आदि रिकार्ड में नाथू पुत्र मोडू नाम दर्ज है। वादी के खसरा नम्बरान में नाम नाथू पुत्र रोड़ा दर्ज होने से तथा वादी के पिता का अलग अलग नाम होने से वादी को किसान कार्ड बनवाने, राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान प्राप्त करने में एवं अपनी कृषि भूमि के विकास करने में व राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली सुविधाएं, मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जबकि उक्त नाथू पुत्र रोडा व नाथू पुत्र मोडू दोनों नाम का वादी एक ही व्यक्ति है। इसके संबंध में कार्यालय ग्राम पंचायत [illegible] के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उक्त वाद वर्णित आराजी में वादी के पिता का नाम नाथू पुत्र रोड़ा व [illegible] पुत्र [illegible]डू का इन्द्राज किया हुआ है जबकि सही व वास्तविक नाम नाथू पुत्र मोडू है। [illegible] के पिता का नाम [illegible] लिए खातेदारी उदघोषणा करवाने एवं इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के लिए उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी ने पटवार हल्का से जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब जानकारी हुई, तब से वाद कारण शुरू होकर आज तक निरन्तर जारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम सुरसुरा की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 873 खसरा नम्बर 263 रकबा 0.2265 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 481 रकबा 0.8899 हैक्टेयर भूमि में नाथू पुत्र रोड़ा हिस्सा 1/4 जाति बलाई सा0देह खातेदार के नाम रिकार्ड में दर्ज है। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो किसी तरह का राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन के पश्चात वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरसुरा के खाता संख्या 873 खसरा नम्बर 263 रकबा 0.2265 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 481 रकबा 0.8899 हैक्टेयर भूमि में नाथू पुत्र रोडा के स्थान पर नाथू पुत्र मोडू के नाम रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:11 IST
Reason: SelfAttested

# अंतिम डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil procedure code Appendix D-1)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास–श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं0 14/2021

1. नाथू पुत्र मोडू जाति बलाई आयु 61 वर्ष, निवासी सुरसुरा तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान

.........वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

.......प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा. का. अधि. एवं धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरसुरा के खाता संख्या 873 खसरा नम्बर 263 रकबा 0.2265 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 481 रकबा 0.8899 हैक्टेयर भूमि में नाथू पुत्र रोड़ा के स्थान पर नाथू पुत्र मोडू के नाम रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

असपा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 28.09.2021 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:11 IST
Reason: SelfAttested